



बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना-800001

परीक्षा का कार्यक्रम

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के अंतर्गत विज्ञापन संख्या-01/2025, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में न्यायिक सदस्य, विज्ञापन संख्या-02/2025 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष एवं विज्ञापन संख्या-03/2025 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सदस्य के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित (वस्तुनिष्ठ एवं वर्णनात्मक) प्रतियोगिता परीक्षा निम्नांकित कार्यक्रमानुसार आयोजित की जाएगी :-

विज्ञापन संख्या/ पदनाम	परीक्षा की तिथि एवं दिन	प्रथम बैठक	द्वितीय बैठक
		10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे अपराह्न तक	02:00 बजे अपराह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक
वि.सं.-03/2025, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सदस्य	03.05.2025 (शनिवार)	पत्र-I (वस्तुनिष्ठ) अधिकतम अंक-100 (क) सामान्य ज्ञान और सामयिक मामले।	पत्र II (वर्णनात्मक) अधिकतम अंक-100 (क) व्यापार और वाणिज्य, उपभोक्ता संबंधी मुद्दों या सार्वजनिक मामलों से चुने गए विषयों पर एक निबंध।
वि.सं.-02/2025, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष	04.05.2025 (रविवार)	(ख) भारत के संविधान का ज्ञान। (ग) अनुसूची में यथाउपदर्शित विभिन्न उपभोक्ता संबंधी विधियों का ज्ञान।	(ख) आदेशों के विश्लेषण और तर्कपूर्ण प्रारूपण की योग्यताओं का परीक्षण करने के लिए उपभोक्ता मामले के संबंध में एक मामला अध्ययन।
वि.सं.-01/2025, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में न्यायिक सदस्य	05.05.2025 (सोमवार)		

इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को औपबधिक रूप से केवल परीक्षा में शामिल कराया जा रहा है। प्रवेश पत्र निर्गत होने मात्र से किसी भी उम्मीदवार की अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। विज्ञापन में अंकित शर्तों के आलोक में उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में उनके द्वारा साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/कागजातों को प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

2. उक्त लिखित (वस्तुनिष्ठ एवं वर्णनात्मक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ई-प्रवेश पत्र (e-Admit Card) आयोग के वेबसाइट-www.bpsc.bihar.gov.in पर परीक्षा प्रारम्भ होने की निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध रहेंगे, जिसे उम्मीदवार अपना User Id & Password डालकर डाउनलोड कर परीक्षा में शामिल होना सुनिश्चित करेंगे।

अभ्यर्थी एक e-Admit Card अतिरिक्त लेकर उपस्थित होंगे। परीक्षा कक्ष में उक्त e-Admit Card में सभी Details अंकित कर अपना हस्ताक्षर करते हुए वीक्षक को निश्चित रूप से सुपुर्द करेंगे तथा एक प्रति भविष्य के लिए सुरक्षित रखेंगे।

उम्मीदवारों को किसी भी स्थिति में डाक (By Post) से प्रवेश पत्र (Admit Card) नहीं भेजे जाएंगे।

3. दिनांक-07.04.2025 को प्रकाशित आवश्यक सूचना इस हद तक संशोधित समझा जाए।

21/4/2025
सचिव

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।